हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 3150 / अका. / 2020 दुर्ग, दिनांक : 11/11/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नियमित बैठक मंगलवार, दिनांक 10.11.2020 समय दोपहर 03:00 बजे ऑनलाईन माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

डॉ. अरूणा पल्टा, कुलपति – अध्यक्ष

1. श्री आशीष कुमार छाबड़ा – सदस्य
2. श्री दलेश्वर साहू – सदस्य
3. डॉ. एम. ए. सिद्धिकी – सदस्य
4. डॉ. डी. सी. अग्रवाल – सदस्य
5. डॉ. मीता चक्रवर्ती – सदस्य
6. डॉ. देबाशीष डे – सदस्य
7. डॉ. हंसा शुक्ला – सदस्य
8. डॉ. रक्षा सिंह – सदस्य
9. डॉ. आर. एन. सिंह – सदस्य
10. श्री सुशील गजभिये – सदस्य
11. श्री अशोक लोहिया – सदस्य
12. डॉ. प्रशांत श्रीधर बोकारे – सदस्य
13. सुश्री रूही अग्रवाल – सदस्य

डॉ. सी. एल. देवांगन, कुलसचिव – सचिव

कार्यपरिषद की दिनांक 10.11.2020 की बैठक का कार्यवाही विवरण :–

विषय क्रमांक 01.

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 26/02/2020, आपाती बैठक दिनांक 04/08/2020 एवं 29/08/2020 में लिए गये निर्णयों की पुष्टि करना।

निर्णय

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 26/02/2020, आपाती बैठक दिनांक 04/08/2020 एवं 29/08/2020 में लिए गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक 02.

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 26/02/2020, आपाती बैठक दिनांक 04/08/2020 एवं 29/08/2020 में लिए गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय

कार्यपरिषद की नियमित बैठक दिनांक 26/02/2020, आपाती बैठक दिनांक 04/08/2020 एवं 29/08/2020 में लिए गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

विषय क्रमांक 03.

विद्यापरिषद की आपाती बैठक दिनांक 02/08/2020 एवं स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17/08/2020 एवं 14/10/2020 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन करना।

निर्णय

विद्यापरिषद की आपाती बैठक दिनांक 02/08/2020 एवं स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17/08/2020 एवं 14/10/2020 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः—

विषय क्रमांक 04.

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में संचालित विभिन्न विषयों के प्रावीण्य सूची में पात्र विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु इच्छुक दानदाताओं से फॉर्म में विवरण एवं राशि प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा तत्संबंधी विनियम तैयार किया गया है जिसके अनुमोदन पर विचार करना (संक्षेपिका संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु विनियमों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 05.

अशासकीय महाविद्यालयों में शासी निकायों के गठन हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में दो–दो सदस्यों के मनोनयन पर विचार करना (कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित सूची संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा 32 अशासकीय महाविद्यालयों एवं 8 नवीन अशासकीय महाविद्यालयों में शासी निकायों के गठन हेतु सदस्यों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 06.

शैलदेवी महाविद्यालय, अण्डा, जिला – दुर्ग के लिए परिनियम – 28 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार करना (बंद लिफाफा संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उक्त महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष पद हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं पाया गया है। महाविद्यालय को पुनः प्रक्रिया के लिये निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 07.

सांदीपनी एकेडमी, अछोटी, जिला – दुर्ग के लिए परिनियम – 28 के अंतर्गत विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार करना (बंद लिफाफा संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उक्त महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष पद हेतु डॉ. संध्या पुजारी के नाम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 08.

राजकीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य शासन से अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि किए जाने विषयक।

अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 143/26/आउशि/अशा.अनु./2020 अटल नगर, दिनांक 01/09/2020 के अनुसार छत्तसीगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक–12 सन्, 2012) द्वारा राज्य शासन के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत क्लास रूम टिचिंग में लगे शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु में दिनांक 01/04/2012 से वृद्धि कर 62 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष की गई है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है की उक्त ज्ञापन राजकीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभाग एवं इन विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों तथा राज्य शासन से शत् प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों हेतु भी समान शर्तो पर लागू की जाए तद्नुसार विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/विनियम में यथा आवश्यक संशोधन करने हेतु निर्देशित कर अवगत कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है जो कि निम्नानुसार है–

अध्यादेश/परिनियम का विद्यतान प्रावधान	आध्यादेश/परिनियम का प्रस्तावित प्रावधान	प्रस्ताव का औचित्य
Statute- 28 (परिनियम 28) College Code (For Non Govt. Colleges) 26. A permanent teacher shall be entitled to be in the service of the college until he completes the age of sixty two. If where the date of retirement of a teacher falls due during the course of the academic session, the governing body shall allow the teacher to continue till the end of the academic year.	In the para a permanent teacher shall be the words **"sixty two"** be amended with **"sixty five"** this shall be effective from 01.04.2012	छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय–रायपुर के वित्त निर्देश 24/2012, पत्र क्रमांक 148/ वित्त/नियम/चार/12 रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के आदेश के अनुरूप प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. 143/26/आउशि/अशा. अनु /2020, अटल नगर, दिनांक 01/09/2020 द्वारा पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। अशासकीय महाविद्यालयों में लागू किय जाने हेतु शासन के उपरोक्त आदेशानुसार विश्वविद्यालय के परिनियम 28 में संशोधन किया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव समन्वय समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद् के माननीय सदस्य डॉ. सुनील वर्मा द्वारा विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाने के पश्चात् उपरोक्त प्रस्तावित प्रावधान में Column -2 में उल्लेखित **"amended"** के स्थान पर **"substituted"** शब्द का प्रयोग करने का सुझाव देते हुए उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 09.

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने एवं लागू किये जाने के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने एवं लागू किये जाने का अनुमोदन किया गया।

<u>स्थापना विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

विषय क्रमांक 10.

विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 (सातवां वेतनमान) के वेतन की अंतर राशि भुगतान के संबंध में विचार करना (संक्षेपिका संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 (सातवां वेतनमान) का भुगतान माह फरवरी 2020 से किया गया है। इसी अनुक्रम में दिनांक 01/07/2018 से दिनांक 30/01/2020 कुल 19 माह के वेतन की अंतर राशि (बकाया वेतन भत्ता ऐरियर्स) का भुगतान परीक्षा मद से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्देशित किया गया कि भुगतान माह नवम्बर 2020 में किया जाना सुनिश्चित करें।

विषय क्रमांक 11.

छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय अटल नगर, रायपुर द्वारा सीधी भर्ती तथा परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति एवं स्टायफण्ड के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुमोदन बाबत्।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय अटल नगर, रायपुर द्वारा सीधी भर्ती तथा परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति एवं स्टायफण्ड के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/04/2020, दिनांक 28/07/2020 का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 12.

विश्वविद्यालय के सेटअप में स्वीकृत पदनाम अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक/लेखापाल पदनाम को पदोन्नति संबंधी वि.वि. विनियम क्र. 91 में उल्लेखित पदनाम कनिष्ठ अधीक्षक एवं कार्यालय सहायक ग्रेड–1 (उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग–1) करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के सेटअप में स्वीकृत पदनाम अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक/लेखापाल पदनाम को पदोन्नति संबंधी वि.वि. विनियम क्र. 91 में उल्लेखित पदनाम कनिष्ठ अधीक्षक एवं कार्यालय सहायक ग्रेड–1 (उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग–1) करने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 13.

सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री एच.एस. बघेल की प्रतिमाह रू. 12,500 के निश्चित मानदेय पर तीन माह हेतु नियुक्ति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 14.

डॉ. प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 15.

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एवं कार्यालय कलेक्टर, जिला– दुर्ग (छ.ग.) द्वारा समय–समय पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों एवं निर्धारित वेतन को विश्वविद्यालय में नियमतः लागू किये जाने पर विचार करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एवं छ.ग. शासन, श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों एवं निर्धारित वेतन को विश्वविद्यालय में नियमतः लागू किये जाने एवं कार्यालय कलेक्टर, जिला – दुर्ग (छ.ग.) द्वारा प्रति वर्ष अप्रैल एवं अक्टूबर माह में जारी नवीनतम दर को प्रभावी/लागू माह से वेतन प्रदान कर सूचना आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में सूचनार्थ रखे जाने का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

विषय क्रमांक 16.

विश्वविद्यालय की सत्र 2018–19 के परीक्षा संबंधी कार्य संपादन की संपूर्ण राशि रू. 5,63,641=00 तथा सत्र 2019–20 की परीक्षा पूर्व संबंधी कार्य संपादन की 03 देयकों की कुल योग राशि रू. 31,49,956=00 में से रू. 14,36,359=00 इस प्रकार कुल 20,00,000=00 के भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

विषय क्रमांक 17.

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण 2017 के एरियर्स भुगतान का अनुमोदन (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी विषयक संक्षेपिका संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 18.

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण 2017 के एरियर्स भुगतान के संबंध में विचारार्थ (विश्वविद्यालय में कार्यरत उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव विषयक संक्षेपिका संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 19.

विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिला कलेक्टर, दुर्ग द्वारा संशोधित मासिक/दैनिक मजदूरी दर का अनुमोदन। (पत्र क्र. 3754/वि.लि.प्र., दुर्ग दिनांक 22/05/2020 एवं माह अक्टूबर 2020 में जारी पत्र क्र. 8048/वि.लि.प्र. /2020/दुर्ग दिनांकः 21/10/2020 संलग्न)

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 20.

राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस कार्यक्रम हेतु सामान्य मद से राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रदत्त अग्रिम राशि रू. 34,000.00 वापस किये जाने के संबंध में जानकारी (संक्षेपिका संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 21.

परीक्षा मद से सावधि जमा राशि परिपक्वता पश्चात विश्वविद्यालय के बचत खाता में स्थानांतरित करने संबंधी सूचना (संक्षेपिका संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 22.

विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों में सावधि जमा राशि की परिपक्वता पश्चात पुनःनवीनीकरण जमा संबंधी सूचना (संक्षेपिका संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 23.

विश्वविद्यालय की वार्षिक/सेमेस्टर/प्रायोगिक परीक्षा संचालन/मूल्यांकन कार्य हेतु महाविद्यालयों को प्रदाय अग्रिम का अनुमोदन (संक्षेपिका संलग्न)।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 24.

विश्वविद्यालय के अतिरिक्त निधि के सावधि विनियोजन के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के अतिरिक्त निधि के सावधि विनियोजन के संबंध में शासन के नियमानुसार विश्वविद्यालय के निधि के समुचित वृद्धि एवं सुरक्षा हेतु सावधि जमा में कुलपति के नियंत्रण एवं सहमति पर कुलसचिव एवं आंतरिक वित्त समिति की अनुशंसा पर सावधि जमा किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कुलसचिव कार्यालय से संबंधित प्रस्तावः–

विषय क्रमांक 25.

कोविड 19 के व्यापक संक्रमण के कारण वार्षिक परीक्षा 2019–20 की स्थगित परीक्षाओं के कुछ प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु डाक सेवा एवं आवागमन बाधित होने से अन्य फर्म से मुद्रण कराये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 26.

वार्षिक परीक्षाओं के गोपनीय प्रश्न पत्रों के मुद्रण की देय राशि रू. 42,82,340.00 के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 27.

सेमेस्टर परीक्षा 2019–20 के गोपनीय प्रश्न पत्रों के देय राशि रू. 15,24,015.00 के भुगतान किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

विषय क्रमांक 01.

01. विश्वविद्यालय की सत्र 2019–20 की परीक्षा हेतु मुद्रित कराये गये मुख्य उत्तर पुस्तिका मुद्रण की देयक राशि 38,89,327.00 छ.ग. संवाद रायपुर को भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त विषयों के अतिरिक्त चर्चा के दौरान आगामी कार्यपरिषद् में बी.एड. परीक्षा परिणाम संबंधित जानकारी एवं परिक्षार्थियों के अंकसूची में त्रुटि एवं सुधार की जानकारी एवं आंकड़े आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

बैठक के अंत में कुलसचिव ने अध्यक्ष एवं उपस्थित समस्त सम्माननीय सदस्यों को दीपावली की अग्रिम बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

11.11.2020

कुलपति
(अध्यक्ष)

कुलसचिव
(सचिव)

पृ.क्र. 3151 /अका./2020

दुर्ग, दिनांक : 11/11/2020

प्रतिलिपिः

1. माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
4. कुलपति के निज सहायक एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

कुलसचिव